वित्तीय स्वीकृति

संख्या-2/2017/भा0स0 98/52-3-16-बजट(17)/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 3 जनवरी, 2017

विषयः- केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावासो एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु पूंजीगत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र ₹ 0-□□-8-32/2009-□□-19 दिनांक 8.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावासो एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 25,00,000/-की धनराशि शासनादेश सं0-□□0□0-80/52-3-11-□□□(17)/2010 दिनांक 23.12.2011 द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है तथा 0 25,00,000/- की धनराशि अवशेष है। चूंकि आपके द्वारा रू0 04,40,000/- की धनराशि समर्पित कर दी गयी थी, जिसको भारत सरकार द्वारा समायोजन करते हुये शेष रू0 20,60,000/ की धनराशि निर्गत कर दी गयी है।

इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बालिका छात्रावासो के निर्माण तथा विद्यालय भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत पक्ष में प्रविधानित धनराशि रु0 50,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 25,00,000/- के सापेक्ष रू0 04,40,000/- की धनराशि समायोजित करते हुये अवशेष रू0 20,60,000/- (रु0 बीस लाख साठ हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रुप में बदायूँ कान्वेन्ट स्कूल, बदायूँ हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि आहरित कर लाभार्थी संस्था के प्रबन्ध तंत्र को सीधे उपलब्ध करायी □□□□□

(2) निर्माण कार्य की लागत की पच्चीस प्रतिशत धनराशि लाभार्थी संस्था द्वारा अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) लाभार्थी संस्था को धनराशि उपलब्ध करायंे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थी संस्था को पाॅच वर्ष में एक बार ही लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा संस्था योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स की समस्त शर्तो को पूर्ण करती है।

(4) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानको के अनुरुप लोक निर्माण विभाग से किसी सहायक अभियन्ता की देख रेख में ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निमार्ण कार्य पर होने वाला अतिरिक्त व्यय संस्था द्वारा स्वयं अपने श्रोतांे से वहन किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त प्रयोेजनार्थ शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को चार्टड एकाउन्टेंट/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित विनिदिष्ट फार्म में व्यय का सम्परिक्षित विवरण देना आवश्यक होगा

(7) सहायता प्राप्त करने वाली संस्था के संबंध में मानीटरिंग रिपोर्टो में लाभार्थी छात्रो की कुल संख्या संस्था द्वारा प्राप्त और उपयोग की गयी राशि का विवरण दर्शाते हुये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना हांेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यर -01-केन्द्र प्रयोजित योजनायें-101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक □□□□□ □.□. विद्यालयों हेतु छात्रावास का निर्माण तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यर - 01- केन्द्र प्रयोजित योजनायें -102-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ.म. विद्यालयों हेतु भवनो का निर्माण के □□□□□□ □□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-भा0 स0 98(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□, □□□□□

4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

5- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in